राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2251/2007/अलवर

मैसर्स उमाकान्त एण्ड कम्पनी,
अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, ...अपीलार्थी की ओर से
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (राज.) (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 830/उपा–भरत/97–98/आरएसटी में पारित आदेश दिनांक 23.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.1996 को यथावत रखा है, जिसमें कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण करते हुए पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल की खरीद बोगस बिल द्वारा की है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वक्त कर निर्धारण रूपये 57,396/– के घोषणा पत्र पेश नहीं किये। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वार्षिक वस्तुवार प्रपत्र पेश नहीं करने तथा एसटी–6 प्रपत्र पेश नहीं करने एवं नियमित कर देरी से जमा कराने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा कुल खरीद पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न व्यवसाईयों से कर चुका माल खरीदा है। प्रथम बिन्दु

क्रमशः.....2

पर कर देय होने के कारण विभिन्न व्यवसाईयों ने उक्त बिक्री पर कर चुकाया है, अतः इस पर दो बार कर आरोपित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जिन व्यवहारियों से माल खरीदा है उस पर उनके द्वारा कोई कर नहीं चुकाया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने जिन व्यवहारियों से खाद्य तेल खरीदा है उस पर उनके द्वारा कर नहीं चुकाया गया है एवं जिन व्यवहारियों द्वारा कर चुका देने का सत्यापन हो गया, उसे सशक्त अधिकारी द्वारा स्वीकार करके छूट प्रदान की है। अपील स्तर पर भी कोई माल खरीद या कर चुकाने का साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। माल का आवागमन का कोई सत्यापन या साक्ष्य नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

20/6/17

(खेमराज)
अध्यक्ष